भारत सरकार रेल मंत्रालय

लोक सभा 14.12.2022 के अतारांकित प्रश्न सं. 1321 का उत्तर

रेलवे में कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग

1321. श्री मलूक नागर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या रेलवे आउटसोर्स किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या सहित उन विभिन्न स्थानों का पता लगाने के लिए अपने विभागों में मूल्यांकन कर रहा है जहां कर्मचारियों को आउटसोर्स किया जा सकता है; और
- (ख) यदि हां, तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से रेलवे में कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है और इन कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए लागू की गई सामाजिक सुरक्षा लाभ योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। ***** रेलवे में कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के संबंध में दिनांक 14.12.2022 को लोक सभा में श्री मलूक नागर के अतारांकित प्रश्न संख्या 1321 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): जी नहीं। यद्यपि, भारतीय रेलें (आईआर) स्टेशन, सवारीडिब्बे, मालडिबबे, कोचिंग डिपों, रेलइंजनों, रेलपथों आदि सहित अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों के सृजन, मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए विस्तृत कार्यों को निष्पादित करती हैं जो विभिन्न विभागों अर्थात् यांत्रिक, वाणिज्यिक, विद्युत, सिविल इंजीनियरिंग, सिंगनल एवं दूरसंचार, चिकित्सा आदि से संबंधित है। इन कार्यों को अपने स्वयं के कर्मचारियों के जरिए और/अथवा ठेका ऐजेंसियों के जरिए आउटसोर्सिंग (विशेष रूप से नॉन-कोर गतिविधियां/जो स्थायी रूप से नहीं चल रही होती हैं) के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। परिचालन की क्षमता और उन्नत सेवा प्रदान करने हेतु समय समय पर रेलवे द्वारा आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्सिंग किया जाता है तथा समय समय पर आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्स द्वारा किया गया कार्य भिन्न होता है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रेलवे में भारतीय रेलवे श्रमिक कल्याण पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार 1,53,463 अनुबंध श्रमिकों को पंजीकृत किया गया था। प्रमुख नियोक्ता होने के कारण रेलवे सुनिश्चित करता है कि ठेका श्रमिकों को श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा सुविधाएं प्रदान हो और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और न्यूनतम मजदूरी के तहत केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित मजदूरी अधिनियम, 1948, और ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952 का अनुपालन सुनिश्चित करता है। रेलवे द्वारा किए गए अनुबंधों में शामिल शर्तों के माध्यम से वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। मौजूदा कानूनों और दिशानिर्देशों के अनुसार उपरोक्त कानूनों के उल्लंघन के मामलों, यदि कोई हो, से निपटने के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS

LOK SABHA UNSTARRED QUESTION No. 1321 TO BE ANSWERED ON 14.12.2022

OUTSOURCING EMPLOYEES IN RAILWAYS

†1321. SHRI MALOOK NAGAR:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether the Railways is conducting an assessment in its departments to find out the various places where employees can be outsourced including the number of employees to be outsourced; and
- (b) if so, the number of employees employed in Railways through outsourcing and details of social security benefit schemes implemented therein to provide benefits to these employees?

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY

(SHRI ASHWINI VAISHNAW)

(a) and (b): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) AND (b) OF UNSTARRED QUESTION NO.1321 BY SHRI MALOOK NAGAR TO BE ANSWERED IN LOK SABHA ON 14.12.2022 REGARDING OUTSOURCING EMPLOYEES IN RAILWAYS

- (a) No, Sir. However, Indian Railways (IR) executes a wide contractual range of works for creation, repair and maintenance of its various assets including stations, coaches, wagons, coaching depots, locomotives, tracks, etc pertaining to various departments namely Mechanical, Commercial, Electrical, Civil Engineering, Signal & Telecommunication, Medical, etc. These works are executed through its own workers and/or through outsourcing (particularly non-core activities/which are not ongoing permanently) through contracting agencies. Outsourcing is done by Railways on need basis from time to time in order to improve the services and efficiency in operation and the number of works being done through outsourcing varies from time to time according to requirement.
- (b) 1,53,463 contract workers were registered over Railways during the financial year 2021-22 as per data maintained on the Indian Railways Shramik Kalyan Portal. Railways as principal employer ensures that the contract workers are provided facilities by the contractors as per provisions of Labour Laws and ensure compliance with the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 and minimum wages notified by the as Central/State Governments under the Minimum Wages Act, 1948, and EPF& MP Act, 1952. Compliance of the statutory provisions is ensured through conditions incorporated in the contracts made by Railways. Suitable guidelines have been notified for dealing with the cases of violation of the above laws, if any, in accordance with the extant laws and guidelines.
